न्यायालय श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

निग - 1871 - II - 16

मातादीन पिता स्व0 श्री हरीराम पटेल उम्र 57 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम कठार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, म0प्र0

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0प्र0

....................गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0प्र0 का प्रकरण क्रमांक 110/स्वमेव निगरानी/2011–12 व पारित आदेश दिनांक 17.05.2013, निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :–

01. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.2013 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा जरिये राजस्व प्रकरण क्रमांक 437/अ–19(4)/1997–98 व पारित आदेश दिनांक 16.04.1990 द्वारा ग्राम कटार की भूमि नम्बर 296/1 जुज भाग 305/1070/1 जुज कुल रकवा 0.745 हे0 भूमि देरीना कब्जा प्रार्थी/निगरानीकर्ता का होने

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1871-दो/2016 जिला उमरिया मातादीन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 110/स्व.निग./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-05-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य	